सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTE RANGE AZAMGARH

जनपद-आजमगढ/मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 13.09.2024

जनपद –आजमगढ़

01.थाना- महराजगंजः सरदहा बाजार में कपड़े की दुकान से हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण; चोरी गये सामान (कीमत लगभग 01 लाख रूपये) के साथ 04 पकड़े गये, 02 अभियुक्त गिरफ्तार; 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना –

अवगत कराना है कि दिनांक 18.08.2024 को वादिनी प्रतिमा गुप्ता पुत्री दिनेश गुप्ता निवासी मेउड़िया सरदहा बाजार थाना महराजगंज जनपद आजमगढ ने थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा रात्रि में वादिनी मुकदमा की कपड़े की दुकान में रखे कपड़ा, साड़ी, आदि (कीमत लगभग 01 लाख रूपये) को चुरा लिया गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 332/24 धारा 331(4),305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है। मुकदमा उपरोक्तो में विवेचना के दौरान अभियुक्त 1.सुदरसन उर्फ बलिन्दर पुत्र सुखई निवासी गंगापुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ 2.रिनू पत्नी स्व0 राजकुमार सा0 महरुपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ व 02 बाल अपचारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कप्तानगंज को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक- 12.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक महराजगंज राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में व0उ0नि0 दलप्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.सुदरसन उर्फ बलिन्दर पुत्र सुखई निवासी गंगापुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ व एक बाल अपचारी को ग्राम रायपुर प्राथमिक विद्यालय के पास सरदहां परशुरामपुर रोड राजेन्द्र सिंह के निर्माणाधिन मकान के सामने सड़क की पटरी के किनारे चोरी के कपड़ों (कीमत लगभग 01 लाख रूपयें) के साथ समय करीब रात्रि 02.30 बजे पकड़ा गया तथा अभियुक्ता रिनू पत्नी स्व0 राजकुमार सा0 महरुपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ व एक बाल अपचारी को समय 09.50 बजे पकड़ा गया। गिरफ्तारी व बरादगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है तथा 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

02. थाना कोतवालीः चोरी की कई घटनाओं में संलिप्त वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व में चोरी की 01 बुलेट, 02 ई-रिक्शा, 01 चाँदी की प्लेट, अन्य सामान (कीमत लगभग 07 लाख रूपये) व 28,900/- रूपये नकदी के साथ 10 लोग पकड़ें गये (06 शातिर चोर गिरफ्तार व 04 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।)

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि विगत कुछ दिनों से आजमगढ़ शहर व शहर के आस-पास के थाना क्षेत्रों में हो रही चोरी की घटनाओं के कुशल अनावरण, गिरफ्तारी, बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक- 10.09.2024 को थाना कोतवाली व थाना सिधारी की संयुक्त टीम द्वारा बागलखराव पुल पर सघन चेकिंग करते हुए संगठित तरीके से गैंग बनाकर चोरी करने वाले 10 लोगों को पकड़ा गया था जिसमें 06 शातिर चोरों की गिरफ्तारी व 04 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया व चोरी के माल की बरामदगी व जनपद के कुल 16 मुकदमों का सफल अनावरण किया गया था।

➡अभियुक्त जाहिद पुत्र आमिर निवासी ब्लांक नम्बर 24 मकान नम्बर 282 कांशीराम आवाश डीएवी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ दिनांक- 24.08.2024 से जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है।

➡अभियुक्त मुकुल वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी सीताराम दलालघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ फरार चल रहा था, जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण– दिनांक 11.09.24 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मुकुल वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी सीताराम दलालघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को समय 16.10 बजे करतालपुर में डीहबाबा के पास के पास से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

जनपद –मऊ

1. शातिर अपराधी (गांजा तस्कर) संजय जायसवाल द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने भाई के नाम से क्रय की गयी अचल संपत्ति (भूखण्ड) व उस पर बना दोमंजिला मकान (लगभग 86 लाख रुपये कीमती) को धारा 14(1) गैगस्टर एक्ट के अर्न्तगत किया गया कुर्क-

मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व में थाना घोसी व मधुबन पुलिस व राजस्व टीम द्वारा संजय जायसवाल पुत्र छेदीलाल निवासी रईसा थाना कोपागंज व हाल पता बहरामपुर थाना मधुबन जनपद मऊ जिसके विरुद्ध थाना कोपागंज में मु0अ0सं0 441/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत है। अभियुक्त संजय जायसवाल अपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है जो अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये स्वयं तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ गांजा तस्करी के अपराध से अर्जित धन से अपने भाई राजू जायसवाल पुत्र छेदी जायसवाल निवासी हिराजपट्टी थाना मधुबन जनपद मऊ के नाम से मौजा हिराजपट्टी तहसील मधुबन जनपद मऊ स्थित गाटा संख्या 30 रकबा 0.020हे0 क्रय कर रकबा 0.0096 हे0 भूमि पर दोमंजिला मकान का निर्माण किया गया है, उक्त भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 49,87,500 रूपये है तथा उस पर बने दोमंजिला मकान का अनुमानित मूल्य लगभग 36,10,000 (कुल अनुमानित कीमत 85,97,500 रुपए है) क्रय किया गया है जबकि उसका भाई उक्त अचल सम्पत्ति का केवल दृश्यमान स्वामी हैं। इस अचल सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी संजय जायसवाल ही है तथा उक्त भवन का उपयोग वह स्वयं के छिपने एवं अपने गैंग के सदस्यों को संरक्षण देने के लिये करता है। दोनों भाईयों के पास आय का ऐसा कोई वैध स्रोत और न ही पुश्तैनी ऐसी स्थिति थी कि इतनी सम्पत्ति क्रय कर उस पर बेशकीमती मकान का निर्माण कराया जा सके।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा दिनांक 27.08.2024 को उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क करने की संस्तुति दी गयी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 06.09.2024 को धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अर्न्तगत उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिसके क्रम में आज दिनांक 12.09.2024 को थाना घोसी व मधुबन पुलिस द्वारा उक्त भूखण्ड व उस पर बने बेशकीमती मकान को कुर्क किया गया।

2. वध हेतु जा रही 04 राशि गोवंश व 02 राशि बछड़े तथा 02 अदद पिकअप वाहन बरामद, 03 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 11.09.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बेलौली पुलिस बुथ के पास से वध हेतु क्रुरता पुर्वक ले जा रहे 04 राशि गोवश व 02 राशि बछड़े को घटना कारित में प्रयुक्त 02 अदद पिकअप (यूपी60बीटी7125), (यूपी60सीटी0277) बरामद कर अभियुक्तगण राजू यादव पुत्र मुनारिका यादव निवासी बडसरी जागीर थाना मनियर, वकील कुमार राम पुत्र हिरालाल राम निवासी रामगढ थाना हल्दी, अनिल यादव पुत्र मिट्ठू यादव निवासी तिवारी के मिल्की थाना बैरिया जनपद बलिया को गिरफ्तार किया गया इस संबंध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 190/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया । बरामद दोनों पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. राजू यादव पुत्र मुनारिका यादव निवासी बडसरी जागीर थाना मनियर जनपद बलिया ।
2. वकील कुमार राम पुत्र हिरालाल राम निवासी रामगढ थाना हल्दी जनपद बलिया ।
3. अनिल यादव पुत्र मिट्ठू यादव निवासी तिवारी के मिल्की थाना बैरिया जनपद बलिया ।

बरामदगी–

1. 04 राशि गोवश व 02 राशि बछड़े ।
2. 02 अदद पिकअप (यूपी60बीटी7125), (यूपी60सीटी0277) ।

अपराधिक इतिहास राजू यादव पुत्र मुनारिका यादव–

1. मु0अ0सं0 117/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
2. मु0अ0सं0 123/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना सुखपुरा जनपद बलिया ।
3. मु0अ0सं0 159/18 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 थाना सुखपुरा जनपद बलिया ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

एसआईयूटी सूरज सिंह, हे0का0 राजबहादुर यादव, का0 संजीव सिंह, का0 हृषिकेश पाण्डेय थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

3. ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दहेज हत्या मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त 10 वर्ष के कठोर कारावास व रू-9,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ASJ/FTC 1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 12-09-2024 को मु0अ0सं0 386/2017 धारा 302,498A,304B,201 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्त सिप्तेहसन पुत्र स्व0 अशलम निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं रू 9,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी विनोद चौहान थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।

जनपद – बलिया

3.थाना दुबहड़ जनपद बलिया पुलिस द्वारा चाकू से गोदकर हत्या करने वाले 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तगण के निशानदेही पर घटना मे प्रयुक्त चाकू को किया गया बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया श्री विक्रान्त वीर के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (दक्षिणी) श्री कृपा शंकर के सफल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय श्री गौरव कुमार शर्मा बलिया के कुशल निर्देशन में थाना दुबहड़ पुलिस को मिली सफलता।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.09.2024 को थाना दुबहड़ पर प्रार्थी मनोज तिवारी पुत्र स्व रामनरायण तिवारी निवासी हरिछपरा (ओझवलिया) द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया की मेरा लड़का मृत्युज्य तिवारी (छोटु तिवारी) पूजा जनरल स्टोर पर काम करता था और उनका तगादा व खाना ले कर जाता था दिनांक 10-9-2024 समय करीब 7 बजे शाम को रास्ते में कृपा तिवारी के टूबल के पास रोक कर के खेत में घसीटकर के मेरे ही गांव के अजीत वार्मा पुत्र भिखारी वर्मा, गुड्डू वर्मा पुत्र भिखारी वर्मा व विशाल वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा मिलकर तगादे कि बात को लेकर के मेरे बेटे को चाकू से मारकर मौके से भाग गयें अपनें पुत्र को घायल अवस्था में इलाज हेतु सदर अस्पताल बलिया ले कर गया जहाँ डा0 द्वारा मृत्यु घोषित कर दिया गया के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक दुबहड़ द्वारा तत्काल उच्चाधिकारीगण कों सूचनार्थ करते हुए मु0अ0स0 141/2024 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। तथा उच्चाधिकारीगण द्वारा मय फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक दुबहड़ को अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए थे-

इसी क्रम में दिनांक 11.09.2024 को प्र0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह, मय हमराह थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 141/2024 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट के वांछित अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि मुखवीर खास की सूचना पर अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अजीत कुमार वर्मा पुत्र भिखारी वर्मा 2. दिलीप कुमार वर्मा उर्फ गुड्डू पुत्र भिखारी वर्मा 3.विशाल कुमार वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा निवासीगण ग्राम ओझवलिया थाना दुबहड़ जनपद बलिया को अभियुक्तों के घर ग्राम ओझवलिया से कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 15.15 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना बताया गया एवं घटना मे प्रयुक्त चाकू को अभियुक्त विशाल उपरोक्त के निशानदेही पर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण थाना स्थानिय पर आवश्यक करते हुए मा0न्यायालय बलिया रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 141/2024 103(1)/3(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुबहड़ बलिया

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. अजीत कुमार वर्मा पुत्र भिखारी वर्मा निवासी ग्राम ओझवलिया थाना दुबहड़ जनपद बलिया।
2. दिलीप कुमार वर्मा उर्फ गुड्डू पुत्र भिखारी वर्मा निवासी ग्राम ओझवलिया थाना दुबहड़ जनपद बलिया।
3. विशाल कुमार वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा निवासी ग्राम ओझवलिया थाना दुबहड़ जनपद बलिया।